डॉ॰ गो॰ गि॰ ला॰ शा॰ प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान
(दिल्ली सरकार)
प्लाट नं. 5, झण्डेवालान, करोल बाग,
नई दिल्ली–110005
दूरभाष : 011–23520859, 20920351
ई–मेल : drgglspvpratishthanam@gmail.com

Dr. G. G. L. S. Prachya Vidya Pratishthan
(Govt. of Delhi)
Plot No. 5, Jhandewalan, Karol Bagh,
New Delhi, 110005
Phone : 011-23520859, 20920351
Email:-drgglspvpratishthanam@gmail.com

Ref. No. F1(3)/Dr.G.G.L.S.P.V.P./2006-07/-170

Dated 22-11-2021

अधिसूचना

डॉ० गो० गि० ला० शा० प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की शासी परिषद् द्वारा प्रतिष्ठान में स्वीकृत 09 पदों के भर्ती नियम दिनांक 12–11–2021 की बैठक के माध्यम से अद्यतन किये गये हैं। संलग्न भर्ती-नियमों को अधिसूचित किया जाता है।

संलग्नक :- भर्ती नियम

(डॉ० जीतराम भट्ट)
निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-
1. प्रतिष्ठान की वेबसाईट।
2. सूचना पट्ट।

अनुलग्नक-III

1.	क) पदनाम	निदेशक
	ख) विभाग/मंत्रालय का नाम	डॉ. गो. गि. ला. शा. प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की स्वायत्तशासी संस्था)
2.	मूल भर्ती नियमों की अधिसूचना की तिथि व उपरांत संशोधनों का विवरण (संदर्भ के लिए मूलभर्ती नियमों व उपरांत संशोधनों की प्रतिलिपि उचित पता का सहित संलग्न होनी चाहिए)	F13(42)/2008/ACL/141 Dated 19-11-2008
3.	वेतनमान	रू.67700–208700 (स्तर–11)
4.	पद का वर्गीकरण	श्रेणी – 'क'

मद सं.	शीर्षक	अनुमोदित/ मौजूदा भर्ती नियमों में उल्लिखित प्रावधान	प्रस्तावित संशोधित प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन का कारण
1	2	3	4	5
1.	पदनाम	निदेशक	निदेशक	यथावत्
2.	पदों की संख्या	01	01 (2021)* *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।	यथावत्
3.	वर्गीकरण	ग्रुप – ए	श्रेणी – 'क'	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप परिवर्तन।
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	रू.15600–39100 ग्रेड पे रू.6600/–	रू.67700–208700 (स्तर-11)	सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप परिवर्तन।
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	चयन	लागू नहीं ।	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप परिवर्तन।
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	लागू नहीं।	लागू नहीं।	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप परिवर्तन।

7.	अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	अनिवार्यः- : 1.विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या तत्समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रथम श्रेणी में संस्कृत मं स्नातकोत्तर उपाधि। अर्थात् प्राच्य पद्धति से किसी भी विषय में आचार्य अथवा अर्वाचीन पद्धति से संस्कृत में एम.ए. उपाधि प्रथम श्रेणी में तथा संस्कृत विषय में पीएच.डी. उपाधि।	अनिवार्य :- 1.विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या तत्समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रथम श्रेणी में संस्कृत मं स्नातकोत्तर उपाधि। अर्थात् प्राच्य पद्धति से किसी भी विषय में आचार्य अथवा अर्वाचीन पद्धति से संस्कृत में एम.ए. उपाधि प्रथम श्रेणी में तथा संस्कृत विषय में पीएच.डी. उपाधि।	यथावत ।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	लागू नहीं।	लागू नहीं ।	यथावत् ।
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	लागू नहीं	पदोन्नति के लिये एक वर्ष।	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप परिवर्तन।
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	प्रतिनियुक्ति/पदोन्नति।	मिश्रित पद्धति द्वारा प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित और अध्यक्ष महोदय की अनुमति से विलयन किया जा सकता है।) व पदोन्नति,	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप परिवर्तन।
11.	यदि पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होनी हो, तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति /	लागू नहीं।	**पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति** 1. 12 वर्षों का किसी केन्द्रीय/राज्यस्तरीय सरकारी या स्वायत्त संस्था में कार्यकारी अधिकारी हैसियत से वेतनमान 12000–16500 में प्रशासनिक कार्य करने का अनुभव।	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप परिवर्तन।

	विलयन किया जाना है की योग्यता एवं अन्य शर्तें		अथवा (क) 14000 से 18300 के वेतनमान में कार्यकारी अधिकारी की हैसियत से सरकारी या सरकार की स्वायत्त संस्था में 05 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव। (ख) लेखन, सम्पादन, प्रकाशन, सम्मेलन, संगोष्ठी, शोध–अनुसन्धान आदि कार्यों के संचालन का 12 वर्षों का अनुभव। अथवा (क) सरकारी या सरकार की स्वायत्त संस्था में समान (निदेशक) प्रशासनिक पद कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यरत। (ख) संस्कृत भाषा में मौलिक रूप से विरचित न्यूनतम 05 पुस्तकें प्रकाशित। आयु – संस्थान का निदेशक प्रष्ठिान के संविधान के आधार पर 70 वर्ष तक कार्य करेगा। (केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वाधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः 4 वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को पचपन (55) वर्षों से अधिक नहीं होंगी। शासी परिषद् की और अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रतिनियुक्त व्यक्ति को निदेशक के पद पर विलयन किया जा	

			सकता है।	
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है ?	लागू नहीं	निदेशक के पद से सम्बन्धित विभागीय पदोन्नति समिति (नियुक्ति पर विचार करने हेतु) 1. अध्यक्ष अथवा उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, डॉ. गो.गि.ला.शा.प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान 2. अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किसी संस्कृत विश्वविद्यालय सेवारत या सेवनिवृत्त कुलपति । 3.अध्यक्ष द्वारा मनोनीत शिक्षा/भाषा विभाग का अधिकारी जो संयुक्त सचिव या तत्समकक्ष नीचे के स्तर का न हो। 4. अध्यक्ष द्वारा मनोनीत संस्कृत की सरकारी या स्वायत्त संस्थाओं के प्रशासन का दीर्घ अनुभव रखने वाला वरिष्ठ अधिकारी 5. अध्यक्ष द्वारा मनोनीत शासी परिषद्(कार्यकारिणी) का एक सदस्य ।	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप परिवर्तन।
१३.	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	यथावत्।

मंत्रालय के प्रतिनिधियों के नाम, पता और टेलीफोन नंबर जिनके साथ इन प्रस्तावों पर स्पष्टीकरण/प्रारंभिक निर्णय के लिए चर्चा की जा सकती है, यदि आवश्यक हो। नाम .... पता .... टेलीफोन नं. .... मोबाईल नं. ....

स्थान : दिल्ली

दिनांक :

प्रस्ताव भेजने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

दूरभाष सं.

अनुलग्नक-III

1.	क) पदनाम ख) विभाग/मंत्रालय का नाम	सहायक निदेशक डॉ. गो. गि. ला. शा. प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की स्वायत्तशासी संस्था)
2.	मूल भर्ती नियमों की अधिसूचना की तिथि व उपरांत संशोधनों का विवरण (संदर्भ के लिए मूलभर्ती नियमों व उपरांत संशोधनों की प्रतिलिपि उचित पता का सहित संलग्न होनी चाहिए)	F13(42)/2008/ACL/141 Dated 19-11-2008
3.	वेतनमान	रू.15600–39100 (स्तर-10)
4.	पद का वर्गीकरण	श्रेणी – 'क'

मद सं.	शीर्षक	अनुमोदित/ मौजूदा भर्ती नियमों में उल्लिखित प्रावधान	प्रस्तावित संशोधित प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन का कारण
1	2	3	4	5
1.	पदनाम	सहायक निदेशक	सहायक निदेशक	यथावत्
2.	पदों की संख्या	01	01 (2021)* *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।	यथावत्
3.	वर्गीकरण	ग्रुप – ए	श्रेणी – 'क'	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप परिवर्तन।
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	रु.9300–34800 ग्रेड पे रू.5400/–	रू.15600–39100 (स्तर-10)	सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप परिवर्तन।
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	चयन	लागू नहीं ।	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप परिवर्तन।
6.	सीधी भर्ती वाले	25–40 वर्ष ।	लागू नहीं।	कार्मिक और

	उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा			प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप परिवर्तन।
7.	अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	**अनिवार्य:-** : 1.मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में एम.ए. (संस्कृत) अथवा आचार्य। 2.शिक्षाशास्त्री या बी.एड। **वरियता :-** संस्कृत में पीएच.डी. या तत्समकक्ष।	**अनिवार्य:-** : 1.मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में एम. ए. (संस्कृत) अथवा आचार्य। 2.शिक्षाशास्त्री या बी.एड। **वरीयता :-** संस्कृत में पीएच.डी. या तत्समकक्ष।	यथावत् ।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	लागू नहीं।	लागू नहीं ।	यथावत् ।
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	अधिकतम दो वर्ष।	पदोन्नति के लिये दो वर्ष।	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप परिवर्तन।
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	पदोन्नति/सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति।	मिश्रित पद्धति द्वारा प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) व पदोन्नति/सीधी भर्ती	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप परिवर्तन।
11.	यदि पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति /	सरकारी या सरकार की किसी स्वायत्त	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति सरकारी या सरकार की किसी स्वायत्त संस्था में	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग,

	विलयन द्वारा भर्ती होनी हो, तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाना है।	संस्था में प्रमाणिक रूप से संस्कृत की परीक्षाओं के संचालन का समान (उपर्युक्त) वेतनमान में कार्य करने का अनुभव।	प्रामाणिक रूप से संस्कृत की परीक्षाओं के संचालन का समान (उपर्युक्त) वेतनमान में कार्य करने का अनुभव। अथवा सरकार या किसी प्रतिष्ठित सरकारी स्वायत्त संस्कृत संस्था में (पे बैण्ड - 2, वेतनमान 9300 –34800, गेड पे- 4600) वेतनमान में प्रशासनिक/प्रकाशनादि कार्य करने का 7 वर्षों का अनुभव। (केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः 4 वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को पचपन (55) वर्षों से अधिक नहीं होंगी।	भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप परिवर्तन।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है ?	डॉ.गो.गि.ला.शा.प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की कर्मचारी चयन समिति/कार्यकारिणी समिति/संचालन समिति।	'क' वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने हेतु) 1. उपाध्यक्ष, डॉ.गो.गि.ला.शा.प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान - अध्यक्ष 2. उपाध्यक्ष द्वारा मनोनित किसी संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के सेवारत या सेवनिवृत्त अध्यक्ष - सदस्य 3.निदेशक, डॉ.गो.गि.ला.शा.प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान - सदस्य 4.उपाध्यक्ष द्वारा मनोनीत शिक्षा/भाषा/अन्य विभाग का अधिकारी जो संयुक्त सचिव या तत्समकक्ष नीचे के स्तर का न हो। - सदस्य 5. उपाध्यक्ष द्वारा मनोनीत शासी परिषद्(कार्यकारिणी) का एक सदस्य - सदस्य	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप परिवर्तन।
13.	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	यथावत।

मंत्रालय के प्रतिनिधियों के नाम, पता और टेलीफोन नंबर जिनके साथ इन प्रस्तावों पर स्पष्टीकरण/प्रारंभिक निर्णय के लिए चर्चा की जा सकती है, यदि आवश्यक हो। नाम .... पता .... टेलीफोन नं. .... मोबाईल नं. ....

स्थान : दिल्ली

दिनांक :

प्रस्ताव भेजने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

अनुलग्नक-III

1.	क) पदनाम	अनुभाग अधिकारी (कार्यालय अधीक्षक)
	ख) विभाग/मंत्रालय का नाम	डॉ.गो.गि.ला.शा.प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान (राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की स्वायत्तशासी संस्था)
2.	मूल भर्ती नियमों की अधिसूचना की तिथि व उपरांत संशोधनों का विवरण (संदर्भ के लिए मूलभर्ती नियमों व उपरांत संशोधनों की प्रतिलिपि उचित पता का सहित संलग्न होनी चाहिए)	F13(42)/2008/ACL/141 Dated 19-11-2008
3.	वेतनमान	रू.44900–142400 (स्तर-7)
4.	पद का वर्गीकरण	श्रेणी - 'ख'

मद सं.	शीर्षक	अनुमोदित/ मौजूदा भर्ती नियमों में उल्लिखित प्रावधान	प्रस्तावित संशोधित प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन का कारण
1	2	3	4	5
1.	पदनाम	कार्यालय अधीक्षक	अनुभाग अधिकारी	दिल्ली सरकार के दास कैडर के अनुरूप पदनाम में परिवर्तन
2.	पदों की संख्या	01	01 (2021)* *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।	यथावत।
3.	वर्गीकरण	ग्रुप - बी	श्रेणी - 'ख'	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप परिवर्तन।
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	रू.9300–34800 ग्रेड पे रू.4600/-	रू.44900–142400 (स्तर-7)	सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप परिवर्तन।
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	चयन	लागू नहीं।	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप परिवर्तन।

6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	18–30 वर्ष	लागू नहीं।	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप परिवर्तन।
7.	अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	अनिवार्यः 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में उच्च द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि। वरीयताः- संस्कृत विषय में एम.ए. अथवा आचार्य उपाधि प्राप्त को वरीयता।	अनिवार्यः 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में उच्च द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि।	पद की तकनीकी जरूरतों के अनुरूप परिवर्तन।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	लागू नहीं।	लागू नहीं ।	यथावत् ।
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	अधिकतम एक वर्ष।	पदोन्नति के लिये एक वर्ष।	यथावत् ।
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	पदोन्नति/सीधी भर्ती/ प्रतिनियुक्ति।	मिश्रित पद्धति द्वारा प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) व पदोन्नति।	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप परिवर्तन।
11.	यदि पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होनी हो, तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाना	पूर्व संशोधित 5200–20200 ग्रेड पे 2400 के वेतनमान में कम से कम 10 वर्षों का लेखा तथा कार्यालयीय कार्यों का अनुभव।	पदोन्नतिः वेतनमान स्तर-6 (35400–112400) के पद पर पांच वर्ष का अनुभव । **अथवा** पूर्व संशोधित 5200–20200 ग्रेड पे 2400 के वेतनमान में कम से कम 10 वर्षों का लेखा तथा कार्यालयीय कार्यों का अनुभव।	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप परिवर्तन।

	है।		(केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः 4 वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (55) वर्षों से अधिक नहीं होंगी।	
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है ?	डॉ. गो. गि. ला. शा. प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की कर्मचारी चयन समिति/पदोन्नति समिति।	'ख' वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने हेतु) 1. निदेशक, डॉ. गो. गि. ला. शा. प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान - अध्यक्ष 2. .निदेशक द्वारा मनोनीत सरकार के शिक्षा/विभाग/अन्य का एक अधिकारी जो उपनिदेशक से स्तर के नीचे का न हो। - सदस्य 3.निदेशक द्वारा मनोनीत भरे जाने वाले पद के कर्त्तव्यों एवं प्रकार्यों का एक विशेषज्ञ - सदस्य 4. निदेशक द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति जिसे कार्यालय प्रबन्धन का अनुभव प्राप्त हो - सदस्य 5. निदेशक द्वारा मनोनीत शासी परिषद्(कार्यकारिणी) का एक सदस्य - सदस्य	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप परिवर्तन।
13.	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	यथावत्।

मंत्रालय के प्रतिनिधियों के नाम, पता और टेलीफोन नंबर जिनके साथ इन प्रस्तावों पर स्पष्टीकरण/प्रारंभिक निर्णय के लिए चर्चा की जा सकती है, यदि आवश्यक हो। नाम .... पता .... टेलीफोन नं. .... मोबाईल नं. ....

स्थान : दिल्ली
दिनांक :

प्रस्ताव भेजने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
दूरभाष सं.

अनुलग्नक-III

1.	क) पदनाम	वरिष्ठ सहायक (उच्च श्रेणी लिपिक)
	ख) विभाग/मंत्रालय का नाम	डॉ. गो.गि.ला.शा. प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान (राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की स्वायत्तशासी संस्था)
2.	मूल भर्ती नियमों की अधिसूचना की तिथि व उपरांत संशोधनों का विवरण (संदर्भ के लिए मूलभर्ती नियमों व उपरांत संशोधनों की प्रतिलिपि उचित पता का सहित संलग्न होनी चाहिए)	F13(42)/2008/ACL/141 Dated 19-11-2008
3.	वेतनमान	रू.25500–81100 (स्तर-4)
4.	पद का वर्गीकरण	श्रेणी – 'ग'

मद सं.	शीर्षक	अनुमोदित/ मौजूदा भर्ती नियमों में उल्लिखित प्रावधान	प्रस्तावित संशोधित प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन का कारण
1	2	3	4	5
1.	पदनाम	उच्च श्रेणी लिपिक	वरिष्ठ सहायक	दिल्ली सरकार के दास कैडर के अनुरूप पदनाम में परिवर्तन।
2.	पदों की संख्या	02	02 (2021)* *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।	यथावत्।
3.	वर्गीकरण	ग्रुप – सी	श्रेणी – 'ग'	यथावत्।
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	रू.5200–20200 ग्रेड पे रू.2400/-	रू.25500–81100 (स्तर-4)	सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप परिवर्तन।
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	उपलब्ध नहीं।	लागू नहीं।	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के

				दिशा-निर्देशों के अनुरूप परिवर्तन।
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	उपलब्ध नहीं।	18–27 वर्ष। **नोट 1**:- (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय) **नोट 2**:- आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी, जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी (लेकिन यह असम, मेघालय,अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीज़न, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा ज़िले की पांगी सब डिवीज़न व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है) ।	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप परिवर्तन।
7.	अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	उपलब्ध नहीं।	**अनिवार्य** :- 1. मान्यता प्राप्त बोर्ड/ विश्वविद्यालय से उच्च द्वितीय श्रेणी में किसी भी विषय से स्नातक। 2. कम्प्यूटर एवं टाईपिंग का ज्ञान। **वांछनीय :** 1. कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में 35 शब्द प्रति मिनट की गति एवं हिन्दी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की गति। टीप : अन्यथा सुयोग्य प्रत्याशियों की स्थिति में अभिलेखबद्ध कारणों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी के स्वविवेक पर शिथिलनीय।	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप परिवर्तन।
8	क्या सीधी भर्ती	उपलब्ध नहीं।	लागू नहीं ।	कार्मिक और

	वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।			प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप परिवर्तन।
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	उपलब्ध नहीं।	दो वर्ष ।	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप परिवर्तन।
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	उपलब्ध नहीं।	**पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति (कम अवधि के लिए अनुबन्ध) द्वारा**	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप परिवर्तन।
11.	यदि पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होनी हो, तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाना है।	उपलब्ध नहीं।	कनिष्ठ सहायक वेतनमान स्तर-2 (19900–63200) के पद पर तीन वर्ष नियमित सेवा में कार्यरत । केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघराज्य प्रशासन/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सांवधिक या स्वायत्त निकायों/ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के निम्नलिखित अधिकारीः- **प्रतिनियुक्ति (कम अवधि के लिए अनुबन्ध) द्वारा :** क. (प) मूलसंवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पद धारण करने वाले; **अथवा** (पप) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 के पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के ग्रेड में 3 वर्ष की सेवा सहित तथा	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप परिवर्तन।

			उपरोक्त कॉलम 6 में वर्णित शैक्षिक योग्यताएँ रखने वाले। (केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः चार वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होंगी।	
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है ?	उपलब्ध नहीं।	'ग' वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति 1. निदेशक, डॉ. गो. गि. ला. शा. प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, दिल्ली सरकार - अध्यक्ष 2. निदेशक द्वारा मनोनीत शिक्षा/भाषा/अन्य विभाग का अधिकारी, जिसे प्रशासन का अनुभव हो - सदस्य 3. निदेशक द्वारा मनोनीत प्रतिष्ठान का अधिकारी अथवा शासी परिषद् का एक सदस्य - सदस्य	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप परिवर्तन।
13.	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	उपलब्ध नहीं।	लागू नहीं।	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप परिवर्तन।

मंत्रालय के प्रतिनिधियों के नाम, पता और टेलीफोन नंबर जिनके साथ इन प्रस्तावों पर स्पष्टीकरण/प्रारंभिक निर्णय के लिए चर्चा की जा सकती है, यदि आवश्यक हो। नाम .... पता .... टेलीफोन नं. .... मोबाईल नं. ....

स्थान : दिल्ली
दिनांक :

प्रस्ताव भेजने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
दूरभाष सं.

अनुलग्नक-III

1.	क) पदनाम	कनिष्ठ सहायक (अवर श्रेणी लिपिक)
	ख) विभाग/मंत्रालय का नाम	डॉ. गो. गि. ला. शा. प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान (राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की स्वायत्तशासी संस्था)
2.	मूल भर्ती नियमों की अधिसूचना की तिथि व उपरांत संशोधनों का विवरण (संदर्भ के लिए मूलभर्ती नियमों व उपरांत संशोधनों की प्रतिलिपि उचित पता का सहित संलग्न होनी चाहिए)	F13(42)/2008/ACL/141 Dated 19-11-2008
3.	वेतनमान	रू.19900—63200 (स्तर-2)
4.	पद का वर्गीकरण	श्रेणी – 'ग'

मद सं.	शीर्षक	अनुमोदित/ मौजूदा भर्ती नियमों में उल्लिखित प्रावधान	प्रस्तावित संशोधित प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन का कारण
1	2	3	4	5
1.	पदनाम	अवर श्रेणी लिपिक	कनिष्ठ सहायक	दिल्ली सरकार के दास केडर के अनुरूप पदनाम में परिवर्तन।
2.	पदों की संख्या	02	02 (2021)* *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।	यथावत्।
3.	वर्गीकरण	ग्रुप – सी	श्रेणी – 'ग'	यथावत्।
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	रू.5200—20200 ग्रेड पे रू.1900/-	रू.19900—63200 (स्तर-2)	सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप परिवर्तन।
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	उपलब्ध नहीं।	लागू नहीं	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप परिवर्तन।
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	18—27 वर्ष।	18—27 वर्ष। नोट 1:-(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप परिवर्तन।

			शिथिलनीय) नोट 2:-आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी, जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी (लेकिन यह असम, मेघालय,अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीज़न, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा ज़िले की पांगी सब डिवीज़न व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।)	
7.	अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताऐं	उपलब्ध नहीं।	**अनिवार्य :-** मान्यता प्राप्त बोर्ड/ विश्वविद्यालय से बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण। कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की गति एवं अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट की गति से टाईपिंग की योग्यता। **वरीयता :** संस्कृत में स्नातक अथवा शास्त्री उपाधि प्राप्त को वरीयता। **टीप :** अन्यथा सुयोग्य प्रत्याशियों की स्थिति में अभिलेखबद्ध कारणों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी के स्वविवेक पर शिथिलनीय।	पद की तकनीकी जरूरतों के अनुरूप परिवर्तन।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	उपलब्ध नहीं।	मान्यता प्राप्त बोर्ड/ विश्वविद्यालय से बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण। कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की गति एवं अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट की गति से टाईपिंग की योग्यता।	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप परिवर्तन।
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	एक वर्ष ।	एक वर्ष ।	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप परिवर्तन।
10	भर्ती की पद्धति	उपलब्ध नहीं।	सीधी भर्ती द्वारा ।	कार्मिक और प्रशिक्षण

	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत			विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप परिवर्तन।
11.	यदि पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होनी हो, तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाना है।	उपलब्ध नहीं।	पदोन्नति : प्रतिष्ठान में एम.टी.एस. रू. 18000–56900 (स्तर-1) के पद पर कार्यरत कम से कम 8 वर्ष का कार्यानुभव रखने वाले कर्मचारी।	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप परिवर्तन।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है ?	उपलब्ध नहीं।	'ग' वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति 1. निदेशक, डॉ. गो. गि. ला. शा. प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, दिल्ली सरकार - अध्यक्ष 2. निदेशक द्वारा मनोनीत शिक्षा/भाषा/अन्य विभाग का अधिकारी, जिसे प्रशासन का अनुभव हो - सदस्य 3. निदेशक द्वारा मनोनीत प्रतिष्ठान का अधिकारी अथवा शासी परिषद् का एक सदस्य - सदस्य	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप परिवर्तन।
13.	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	उपलब्ध नहीं।	लागू नहीं।	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप परिवर्तन।

मंत्रालय के प्रतिनिधियों के नाम, पता और टेलीफोन नंबर जिनके साथ इन प्रस्तावों पर स्पष्टीकरण/प्रारंभिक निर्णय के लिए चर्चा की जा सकती है, यदि आवश्यक हो। नाम .... पता ....
.... टेलीफोन नं. .... मोबाईल नं. ....

स्थान : दिल्ली
दिनांक :

प्रस्ताव भेजने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
दूरभाष सं.

अनुलग्नक-III

1.	क) पदनाम	मल्टी टास्किंग स्टाफ (एम.टी.एस.)
	ख) विभाग/मंत्रालय का नाम	डॉ. गो.गि.ला.शा.प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की स्वायत्तशासी संस्था)
2.	मूल भर्ती नियमों की अधिसूचना की तिथि व उपरांत संशोधनों का विवरण (संदर्भ के लिए मूलभर्ती नियमों व उपरांत संशोधनों की प्रतिलिपि उचित पता का सहित संलग्न होनी चाहिए)	F13(42)/2008/ACL/141 Dated 19-11-2008
3.	वेतनमान	रू.18000–56900 (स्तर-1)
4.	पद का वर्गीकरण	श्रेणी – 'ग'

मद सं.	शीर्षक	अनुमोदित/ मौजूदा भर्ती नियमों में उल्लिखित प्रावधान	प्रस्तावित संशोधित प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन का कारण
1	2	3	4	5
1.	पदनाम	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	मल्टी टास्किंग स्टाफ (एम.टी.एस.)	छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप पदनाम में परिवर्तन
2.	पदों की संख्या	02	02 (2021)* *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।	यथावत्।
3.	वर्गीकरण	ग्रुप – डी	श्रेणी – 'ग'	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप परिवर्तन।
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	5200–20200 ग्रेड पे रू.1800/-	रू.18000–56900 (स्तर-1)	सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप परिवर्तन।
5.	क्या चयन पद है	चयन	लागू नहीं।	कार्मिक और

	अथवा गैर चयन पद			प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप परिवर्तन।
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	18–25 वर्ष	18–25 वर्ष नोट 1:- (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय) नोट 2:- आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी, जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी (लेकिन यह असम, मेघालय,अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीज़न, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा ज़िले की पांगी सब डिवीज़न व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है) ।	सेवा विभाग दिल्ली सरकार पत्र दिनांक 17–10–2016 के अनुरूप परिवर्तन।
7.	अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	अनिवार्य : मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं	अनिवार्य :- मान्यता प्राप्त बोर्ड से आठवीं पास या समकक्ष योग्यता। टीप : अन्यथा सुयोग्य प्रत्याशियों की स्थिति में अभिलेखबद्ध कारणों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी के स्वविवेक पर शिथिलनीय।	सेवा विभाग दिल्ली सरकार पत्र दिनांक 17–10–2016 के अनुरूप परिवर्तन।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	लागू नहीं	लागू नहीं ।	यथावत्
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	अधिकतम एक वर्ष	एक वर्ष ।	यथावत् ।
10.	भर्ती की पद्धति	सीधी भर्ती	सीधी भर्ती द्वारा ।	कार्मिक और

	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत		टीपः- पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर चले जाने या दीर्घकालिक रुग्णता या अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष की अवधि या अधिक अवधि के लिये हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले उन अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जा सकेगी जो कॉलम 7 के अन्तर्गत निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं एवं अनुभव रखते हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग ने इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होंगी।) नोट : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिये न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिये 01-01-2006 से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा जिस तिथि से छठे. केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है। यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू सम्बद्ध ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी। जहां पर पूर्व संशोधित एक से अधिक वेतनमानों का विलय साझे ग्रेड/वेतनमान सहित एक ग्रेड में किया जा चुका है, और जहां ये लाभ उस/उन पद/पदों के लिये ही विस्तारित हैं जिसके लिये यह ग्रेड वेतन /वेतनमान किसी प्रकार के अपग्रेडशन के बिना सामान्य	प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप परिवर्तन।

			प्रतिस्थापन (रिप्लेसमेंट) ग्रेड है।	
11.	यदि पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होनी हो, तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ विलयन किया जाना है।	लागू नहीं	लागू नहीं।	यथावत्।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है ?	डॉ. गो. गि. ला. शा. प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की कर्मचारी चयन समिति	'ग' वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (भर्ती व स्थायीकरण पर विचार करने हेतु) 1. निदेशक, प्रतिष्ठान, दिल्ली सरकार – अध्यक्ष 2. निदेशक द्वारा मनोनीत शिक्षा/भाषा/अन्य विभाग का अधिकारी, जिसे प्रशासन का अनुभव हो – सदस्य 3. निदेशक द्वारा मनोनीत प्रतिष्ठान का अधिकारी अथवा शासी परिषद् का एक सदस्य – सदस्य	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप परिवर्तन।
13.	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	लागू नहीं	लागू नहीं।	यथावत्।

मंत्रालय के प्रतिनिधियों के नाम, पता और टेलीफोन नंबर जिनके साथ इन प्रस्तावों पर स्पष्टीकरण/प्रारंभिक निर्णय के लिए चर्चा की जा सकती है, यदि आवश्यक हो। नाम .... पता .... टेलीफोन नं. .... मोबाईल नं. ....

स्थान : दिल्ली
दिनांक :

प्रस्ताव भेजने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
दूरभाष सं.

उक्त प्रतिष्ठान में स्वीकृत 09 पदों के भर्ती नियमों पर समिति द्वारा विचार विमर्श किया जाना है। इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।